डॉ० नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक आरंभ करते हुए सभी पदाधिकारियों के उनके मुख्यालय में आवासन के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रखण्ड पंचायतीराज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सरकारी आवास अभी तक खाली नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय में न रहकर भभुआ में आवासन कर रहे है। इस संबंध में पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्णतः या एक रूम में सभी सामान को व्यवस्थित कर पॉच दिनों के अंदर आवास खाली करने हेतु प्रखण्ड स्तर से नोटिस देने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नुऑव द्वारा बताया गया कि नुऑव प्रखण्ड में सिंचाई विभाग का आवास है परंतु साफ सुथरा नहीं रहने एवं बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण आवासन करने योग्य नहीं है, जिसके कारण उनके द्वारा मोहनियॉ प्रखण्ड में आवासन किया जा रहा है। इस संदर्भ में भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि नुऑव प्रखण्ड में जो आवास है उसका मरम्मति एवं साफ सफाई 15 दिनों के अंदर कराकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नुऑव को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेगें। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा प्रखण्ड नुऑव द्वारा भी प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि नुऑव बाजार में कोई निजी मकान सही ढंग का नहीं मिलने के कारण नुऑव प्रखण्ड मुख्यालय से आठ किलोमीटर कि दूरी पर स्थित रामगढ़ बाजार में मकान ले लिया गया है और दो तीन दिन में वहां रहने लगेगें। इसी प्रकार कार्यक्रम पदाधिकारी रामपुर द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड मुख्यालय में मकान ले लिए है और एक–दो दिनों में वहां आवासन करने लगेगें। कार्यक्रम पदाधिकारी भगवानपुर द्वारा बताया गया कि भभुआ बाजार में आवास रखे हुए है जो प्रखण्ड मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कार्यक्रम पदाधिकारी रामगढ़ द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड मुख्यालय में मकान ले लिए है और एक दो दिनों में वहां आवासन करने लगेगें।

(अनुपालन :–कार्यक्रम पदाधिकारी, नुऑव/रामगढ़/भगवानपुर/रामपुर//प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नुऑव/चैनपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, भभुआ)

स्वच्छ भारत मिशन :– स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला समन्वय एवं जिला MLE-MIS बिना पर्याप्त प्रतिवेदन के बैठक में आए हुए है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि बिना तैयारी का बैठक में भाग लेने के लिए उपर्युक्त दोनों पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। बैठक में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि ODEP तैयार है और उसपर ग्रामसभा का हस्ताक्षर भी हो गया है। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी शौचालय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया गया कि शौचालय निर्माण के साथ साथ शौचालय के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में एक प्रखण्ड समन्वयक दो–तीन प्रखण्डों के प्रभार में है। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे किसी जानकार कर्मी/पदाधिकारी को प्रखण्ड समन्वयक नामित करेगें ताकि कार्य में तेजी लाया जा सके। जियो टैगिंग के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक कर्मी एक दिन में कम से कम 50 जियो टैगिंग करेगें तथा कोई भी जियो टैगिंग करने वाला कर्मी एक बार में 50 से ज्यादा फोटो अपलोड नहीं करेगें अन्यथा Error आने लगेगा। प्रखण्डों में जितने भी जियो टैगिंग का कार्य करने हेतु कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए है, उनमें से प्रत्येक प्रखण्ड में एक जियो टैगिंग का नोडल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित करते हुए सभी जियो टैगर का मोबाईल नंबर जिला MLE-MIS को उपलब्ध कराएगें। जिला MLE-MIS में केवल नोडल से प्रतिदिन वार्त्ता करेगें लेकिन व्हाटसैप ग्रुप सभी जियो टैगर का होगा। भुगतान के लिए उन पदाधिकारियों/कर्मियों से सत्यापन कराएगें जिनके द्वारा जियो टैगिंग का कार्य नहीं किया गया है। बैठक में निदेश दिया गया कि जिला से सभी प्रखण्डों के लिए एक एक कलर प्रिन्टर क्रय कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला समन्वयक प्रतिदिन Approved Photograph & Not Approved Photograph का प्रतिवेदन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजेगें। जो वार्ड खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है और उसका फॉर्म आ गया है तो जियो टैगिंग में दो–तीन दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी प्रखण्ड में एक वाररूम बनाया जाय जिसमें प्रखण्ड समन्वयक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी तथा CLTS Motivators के कर्मी बैठेगें। प्रखण्ड स्तरीय वार रूम से प्रत्येक दिन सुबह शाम प्रखण्ड समन्वयक, CLTS Motivators एवं पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी के लोकेशन की जानकारी लेगें तथा क्षेत्र में आ रही कठिनाईयों के संबंध में वार्त्ता करेगें। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी एक वाररूम बनवाने का निदेश दिया गया है जिसमें जिला

समन्वयक, MLE-MIS, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रेरक बैठेगें। जिला स्तरीय वार रूम से प्रत्येक दिन सुबह शाम प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों के लोकेशन की जानकारी लेगें एवं क्षेत्र में आ रही कठिनाईयों को सामाधान करेगें। Ghost Toilet का पता लगाने के लिए प्रखण्ड के सूची को सभी पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र इत्यादी में टोलावार/वार्डवार बांटकर एक सप्ताह में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सत्यापन कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी पंचायत में ऐसे व्यक्तियों की सूची 500 से अधिक नहीं है। सत्यापन के उपरांत जो भी नाम गलत पाए जाएगें, उसे राज्य स्तर से डिलीट कराया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने अधिनस्थ कर्मियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लेगें कि उनके द्वारा शौचालय बना लिया गया है। इसी तरह RTPS Counter, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ऑगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों इत्यादी में आने वाले अभिभावकों से शौचालय निर्माण के संबंध में जानकारी अनिवार्य रूप से पूछेगें। CLTS Motivators का नियुक्ति एवं पदस्थापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्तर से किया जाना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि महिला को छोड़कर किसी भी CLTS Motivators का गृह प्रखण्ड में पदस्थापन नहीं करेगें। फोटो लाभार्थी का शौचालय के साथ खिची होनी चाहिए। यदि किसी लाभार्थी के फॉर्म पर वार्ड सदस्य हस्ताक्षर करने में टालमटोल करता है तो जीविका के दीदी से भी हस्ताक्षर कराया जा सकता है। ODF Verification के लिए प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक इत्यादी को शामिल करते हुए एक समिति का गठन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेगें। 25 % ODF Verification प्रखण्ड द्वारा किया जाना है। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भुगतान नहीं करने वाले एवं भुगतान करने वाले दोनों का जियो टैगिंग एक साथ करने पर भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। विमर्शोपरांत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि फर्स्ट फेज में उसी का जियो टैगिंग कराएं जिनका भुगतान करना है। दूसरे फेज में पुराने शौचालय का जियो टैगिंग कराएगें, जिनका भुगतान नहीं करना है लेकिन किसी भी सही व्यक्ति के शौचालय के भुगतान में विलम्ब नहीं करेगें।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला समन्वयक/जिला MLE-MIS)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जिले का कुल लक्ष्य 11403 है

जिसमें से 10562 आवासों का आवास सॉफ्ट पर जिला स्तर से स्वीकृति दे दिया गया है उसके बावजूद भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा प्रथम किस्त कि राशि स्वीकृत आवासों के विरूद्ध मात्र 9275 लाभुकों को ही दी गई है। इस संदर्भ में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जितने भी जिला स्तर से आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दी गई है उसको प्रथम किस्त की राशि भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अभी भी 5423 आवास अपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 1995–96 से 2015–16 तक सभी स्वीकृत इंदिरा आवासों का आवास सॉफ्ट पर सिंगल पेज इन्ट्री दिनांक 14.05.2018 तक करना है परंतु इन्ट्री का प्रगति खेदजनक है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सिंगल पेज इन्ट्री का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में भेजना सुनिश्चित करेगें। अगर उक्त दोनों कार्य में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देगें।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

मनरेगा :– मनरेगा की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि रामपुर प्रखण्ड में 16.63 प्रतिशत, दुर्गावती में 5.02 प्रतिशत, चॉद में 14.24 प्रतिशत अभी तक मानव दिवस सृजित किया गया है जो बहुत ही खेद का विषय है। इस संदर्भ में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योग्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना लाभुकों का भी ई–मस्टर रॉल निर्गत करेगें। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर प्रखण्ड मुख्यालय का साफ सफाई कराया जाय तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को संज्ञान में लेते हुए सभी प्रखण्ड मुख्यालय एवं पंचायतों में वृक्षोरोपण कराने की कार्य योजना तैयार की जाय ताकि अन्य कार्य को लेकर सामाजिक वानिकी की योजना प्रभावित न हो। समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चापाकल का प्राक्कलन कम होने के कारण चापाकल लगाने एवं भेण्डर द्वारा समान की आपूर्ति में विलम्ब करने के कारण योजना के क्रियान्वयन में समस्या होने की बात उठाई गई। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायतवार जलस्तर का प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर अभिकरण कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेगें। जिन प्रखण्डों में भेण्डर द्वारा कार्य सही ढंग से पूर्व में नहीं किया गया है उसे हटाने एवं नए भेण्डर के लिए प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को बताया गया कि खेत पोखरी की कम से कम प्रत्येक पंचायत में

दो–दो योजनाएं लेकर 15 जून 2018 से पूर्व पूर्ण कराएगें। साथ ही अपने–अपने प्रखण्डों में एक–एक मॉडल योजना लेगें जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया जा सके।

(अनुपालन :– सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0)

पंचायतीराज विभाग :– पंचायतीराज विभाग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला स्तर पर तैयार किए गए प्रतिवेदन एवं प्रखण्डों के प्रतिवेदन में भिन्नता पाई गई। इस संदर्भ में उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से पंचायतीराज विभाग का प्रतिवेदन में पाई गई त्रुटियों के लिए संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछेगें। पंचायतीराज विभाग की तरफ से संचालित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में 01.04.2018 तक कुल 17 योजनाएं लंबित पाई गई। इस संदर्भ में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिस प्रखण्ड में योजनाएं लंबित है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाय। अगर इसमें कोई समस्या है तो इसकी जानकारी जिला पंचायत शाखा की दिया जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रधान सहायक, जिला परिषद)

जीविका :– जीविका की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2018 तक कुल 147 ग्राम पंचायतों के 1147 गॉवों में प्रवेश किया गया है जिसमें से 11972 स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका को निदेश दिया गया कि जितने भी जीविका के कर्मी/पदाधिकारी है उनको पंचायत अधारित कार्य दिया जाय। उनको दिए गए कार्यो के प्रगति के संबंध में जिला परियोजना प्रबंधक प्रतिदिन समीक्षा करेगें। जीविका क्या क्या कारोबार कर रही है उसकी सूची जिला परियोजना प्रबंधक अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगें।

(अनुपालन :– जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना :– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि बैठक बुलाकर सभी बैंकों के समन्वयक को वित्तीय वर्ष 2017–18 में लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृत करने हेतु निदेशित किया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि जिले में कितने उद्योग है, उसकी सूची अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

(अनुपालन :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)

अन्य :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में भ्रमण कर प्रखण्ड मुख्यालयों में अवस्थित भवनों, चाहरदिवारी इत्यादी के संबंध में प्लॉन तैयार कर प्रस्तुत करेगें। चकबन्दी से जितने सरकारी जमीन का खाता खुला है उसके आदेश की प्रति सभी अंचलाधिकारी, चकबन्दी पदाधिकारी से प्राप्त कर लें।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, भवन/सभी अंचलाधिकारी)

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Sd/–
जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक...453... दिनांक....28.5.18

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– प्रखण्डों के सभी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त,कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.5.18
जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)